चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 10.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

(2). आज दिनाँक 10.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में श्रवण मास के दौरान शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री अनिल कुमार गुप्ता तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त देवकुमार पुत्र जगमोहन निवासी चकला गुरुबाब थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

20 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.चौकी प्रभारी सीतापुर श्री अनिल कुमार गुप्ता
2.आरक्षी अतुल परिहार
3.आरक्षी रविन्द्र

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में थाना मानिकपुर पुलिस टीम ने एक अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर को 05 किलो 364 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 09.08.2024 को थाना मानिकपुर में नियुक्त उ0नि0 श्री राजोल नागर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि एक अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर गांजा लेकर ट्रेन से उतरा है, इस सूचना पर उ0नि0 श्री राजोल नागर एवं उनकी टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर अभियुक्त बुद्धविलास पुत्र लुसुरुवा निवासी सिकरीसानी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 05 किलो 364 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा पूंछतांछ में बताया गया कि वह ये गांजा रायपुर छत्तीसगढ़ से लेकर आया है तथा चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर तथा बांदा जिले में इसकी सप्लाई करता है। बरामदशुदा गांजा की अनुमानित कीमत लगभग 01 लाख रुपये है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 142/2024 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

बुद्धविलास पुत्र लुसुरुवा निवासी सिकरीसानी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 243/2022 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट व 03/25 आर्म्स एक्ट थाना राजापुर
2. मु0अ0सं0 62/2023 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट व 03/25 आर्म्स एक्ट थाना राजापुर
3. मु0अ0सं0 142/2024 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मानिकपुर

बरामदगीः-

05 किलो 364 ग्राम गांजा

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री राजोल नागर थाना मानकिपुर
2.उ0नि0 श्री मुकेश सिंह परिहार
3.आरक्षी जलील अहमद
4.आरक्षी भास्कर शुक्ला
5.आरक्षी अमित द्विवेदी

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में थाना राजापुर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की घटना का खुलासा करते हुये 01 चोर को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक **08.**08.2024 को वादी श्री अब्दुल रहीम पुत्र अब्दुल रहमान निवासी छीबो थाना राजापुर जनपद चित्रकूट ने थाना राजापुर में सूचना दी थी कि उनके मोटरसाइकिल हीरो पैशन प्रो रजि0 नं0 यूपी096 एम2495 उनके बोर वाले घर से चोरी हो गयी है। इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 171/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक राजापुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय को घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय एवं उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये मुखबिर की सूचना पर दिनाँक 09.08.2024 को अभियुक्त गौरीशंकर मिश्रा पुत्र स्व0 शेषनारायण मिश्रा निवासी हन्ना विनैका थाना मऊ जनपद चित्रकूट को चोरी की मोटरसाइकिल होरी पैशन प्रो0 रजि0 नं0 यूपी096 एम2495 के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी ।

अभियुक्त का विवरणः-

गौरीशंकर मिश्रा पुत्र स्व0 शेषनारायण मिश्रा निवासी हन्ना विनैका थाना मऊ जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

चोरी की मोटरसाइकिल होरी पैशन प्रो0 रजि0 नं0 यूपी096 एम2495

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना राजापुर

2.उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार

3.आरक्षी प्रकाश मिश्रा

4.आरक्षी साकिर अली

(6). आज दिनाँक-10.08.2024 को क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय की अध्यक्षता में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह की उपस्थिति में थाना पहाड़ी में समाधान दिवस का आयोजन किया गया । इस दौरान आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देश दिये गये । भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके जाकर जांचकर निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया ।

(7). आज दिनाँक 10.08.2024 को जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी०एन० व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन थाना राजापुर में किया गया। इस दौरान आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देश दिये गये । भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके जाकर जांचकर निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया ।

समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी राजापुर श्री प्रमोद कुमार झा, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह, राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचरागीण उपस्थित रहे।

(8). आज दिनाँक 10.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह अध्यक्षता में समाधान का आयोजन थाना सरधुवा में किया गया। इस दौरान आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देश दिये गये। भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके जाकर जांचकर निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

समाधान दिवस में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह, राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचरागीण उपस्थित रहे।

(9). आज दिनाँक-10.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की अध्यक्षता मे थाना मऊ एवं थाना रैपुरा में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देश दिये गये। भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके जाकर जांचकर निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

इस दौरान थाना मऊ में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय तथा थाना रैपुरा में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(10). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में चौकी सीतापुर पुलिस टीम ने ऑटो की बैट्री चोरी की घटना का खुलासा करते हुये 01 चोर को चोरी की बैट्री के साथ गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 09.08.2024 को कस्बा सीतापुर निवासी श्री राकेश पुत्र जुवान द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी कि उनके ऑटो का ताला तोड़कर ऑटो की बैट्री चोरी कर ली गयी है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 510/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य को घटना का अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 10.08.2024 को अभियुक्त बुद्धविलास वर्मा पुत्र भोला निवासी सैमरी थाना तिंदवारी जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की ऑटो की बैट्री बरामद की गयी। चोरी के बैट्री बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

बुद्धविलास वर्मा पुत्र भोला निवासी सैमरी थाना तिंदवारी जनपद बांदा

बरामदगीः-

01 अदद चोरी की बैट्री

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य चौकी सीतापुर

2.आरक्षी अतुल परिहार

3.आरक्षी रविन्द्र

(11). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में सहायक नोडल अधिकारी क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल द्वारा न्यायालय सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों, जनपद के न्यायालय सुरक्षा प्रभारी राकेश कुमार सिंह को प्रशिक्षित किया गया।

क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा पुलिस कार्मियों को बताया गया कि न्यायालय परिसर की भौगोलिक जानकारी,वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न्यायालय परिसर पर संभावित खतरे जैसे अपराध, प्रदर्शन, तोड़फोड़, हिंसा, राजनैतिक, प्रतिद्वंदिता,सशस्त्र आक्रमण, आतंकवादी/नक्शल ग्रुप द्वारा हमला आदि के संबंध में जानकारी देकर न्यायालय सुरक्षा एवं सतर्कता रखने हेतु बताया गया।

(12). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह तथा उनकी टीम द्वारा सूचना के 24 घण्टे के अन्दर युवती को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेने तथा दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनाँक 09.08.2024 को सतना म0प्र0 की तहसील वीरसिंहपुर अन्तर्गत एक गांव की निवासी एक युवती ने थाना मानिकपुर में सूचना दी कि दिनाँक 27.06.2024 को तथा इससे पूर्व 02 बार थाना मानिकपुर अन्तर्गत ग्राम गुरौला निवासी मुकेश कुमार पुत्र रामदीन वर्मा ने उसको नौकरी दिलाने के नाम पर रुपया लिये हैं तथा उसके साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी है। इस सूचना पर थाना मानिकपुर मु0अ0स0 143/2024 धारा 376,506,419,420 भादवि0 बनाम मुकेश कुमार पुत्र रामदीन वर्मा निवासी गुरौला थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर द्वारा घटना के सम्बन्ध में त्वरित संज्ञान लेकर अभियुक्त मुकेश कुमार उपरोक्त को 24 घण्टे के अन्दर आज दिनाँक 10.08.2024 को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरणः-

मुकेश कुमार पुत्र रामदीन वर्मा निवासी गुरौला थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री दुर्गविजय सिंह

2.आरक्षी भास्कर शुक्ला

3.आरक्षी अमित द्विवेदी

(13). आज दिनाँक 10.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में थाना कोतवाली कर्वी,थाना भरतकूप,थाना बहिलपुरवा एवं महिला थाना के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया । अर्दली रुम के समस्त विवेचकों से प्रत्येक विवेचना पर विस्तारपूर्वक वार्ता करते हुए विवेचना लंबित रखने का कारण पूछकर गुण दोष के आधार पर विवेचना के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। आईजीआरएस एवं मुलाकाती शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
अर्दली रुम के दौरान क्षेत्राधिकार नगर श्री राज कमल, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी, श्री उपेंद्र प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष भरतपुर श्री प्रवीण कुमार सिंह,बहिलपुरवा श्रीराम सिंह, थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती सविता सरोज एवं अन्य विवेचकगण उपस्थित रहे ।